**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16475/2026
CNR: RJHC021009662026 | URN: CRLMB / 30416U / 2026

Mohit Sharma S/o Bharatbhushan Sharma, Aged About 30 Years, R/o Ward No. 02, Brahmanon Ka Mohalla, Khatushyamji, Police Station Khatushyamji, District Sikar, Presently Tenant Boduram Saini Ka Makan, Near Gyan Sarovar School, Piprali Road, District Sikar, Presently Inspector Karkhana And Boylers Inspection Department, Sikar. (At Present Confined In District Jail Sikar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Ripudaman Singh Shekhawat |
| For Respondent(s) | : | Mr. Shree Ram Dhakar, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**29/10/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**सी.पी.एस. जयपुर, ए.सी.बी. जिला** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **279/2026** अपराध अन्तर्गत धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत होते हुए परिवादी की फैक्ट्री में अनियमितता पायी और इन अनियमितताओं को हटाने के लिए उसने 20,000/–रूपये की रिश्वत मांगी। उनका तर्क है कि वास्तविकता में परिवादी ने इस मामले में यह झूंठी रिपोर्ट इसलिए दर्ज करवाई है क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त ने फैक्ट्री में

अनियमितता पाई थीं। उनका तर्क है कि इस मामले में रूपये की जो बरामदगी हुई है, वह सीढीयों से हुई है, प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से कोई राशि बरामद नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त से अब किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया जाना है। उससे अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है तथा उसके अभिरक्षा में रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त की माता बीमार है तथा उनकी देखभाल करने वाला प्रार्थी–अभियुक्त अकेला व्यक्ति है। उनका तर्क है कि परिवादी की फैक्ट्री में अनियमिततओं को हटाने की ऐवज में रिश्वत की राशि मांगे जाने का आरोप सर्वथा गलत है क्योंकि ऐसी अनियमितताओं को निरीक्षण के उपरांत ऑनलाईन दर्शित कर दिया जाता है और उसके उपरांत निरीक्षक को इसे हटाने का कोई अधिकार नहीं होता। उनका यह भी तर्क है कि विभिन्न न्यायालयों ने अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया पाये जाने के उपरांत भी उनकी जमानत स्वीकार की हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए :–

1- Mohan Singh Vs. Union Territory, Chandigarh
MANU/SC/0128/1978

2- Deep Chand Vs. State of Rajashan
S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 6640/2023
Order Dated 26.6.2023

उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 28.9.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 का अभियोग है। उस पर आक्षेप है कि उसने परिवादी की फैक्ट्री में अनियमितताऐं दर्शित कर उन्हें हटाने की ऐवज में परिवादी से रिश्वत मांगी। उनका तर्क है कि परिवादी की

फैक्ट्री का निरीक्षण प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चुरू जिले में किया गया था, जबकि रिश्वत की राशि देने के लिए परिवादी को सीकर बुलाया गया था। उनका तर्क है कि पत्रावली पर परिवादी व अभियुक्त के मध्य हुई वार्ता से सम्बन्धित लिप्यांतरण (Transcript) मौजूद है, जिसमें अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हो रही है। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत होते हुए परिवादी की तारानगर, चुरू स्थित ''श्रीराम टिम्बर'' नामक फर्नीचर की फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जिसमें चार अनियमितता पाई और इन अनियमितताओं को हटाने के लिए उसने 20,000/–रूपये की रिश्वत मांगी। इस मामले में रिश्वत की जो राशि बरामद होना बताया गया है, वह सीढीयों से होना बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से कोई राशि बरामद होना प्रकट नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है तथा रिश्वत की जो राशि बताई गई है, वह बरामद हो चुकी है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 28.9.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास

हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

66/JITENDRA SINGH PANWAR